

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-8)

25 SEP 2017

पत्रांक:- एफ8(13)(3)ग्रावि/अनु.-8/SPMRM/बैठक/2016

दिनांक:-25.09.2017


बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 19.09.2017 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन के तहत शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे समिति कक्ष उत्तरी-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय जयपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन के द्वितीय फेज में चयनित 06 क्लस्टर (अरनोद-प्रतापगढ़, नापासर-बीकानेर, नरेयना-जयपुर, नौगांवा-अलवर, रानीवाड़ाकलान- जालौर एवं गढ़ी-बांसवाड़ा) के ड्राफ्ट Integrated Cluster Action Plan (ICAP) का प्रस्तुतीकरण स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा किया गया। बैठक में चीफ प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल रूरुर्न मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की टीम, विभागीय अधिकारियों, संबंधित लाइन विभाग के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। (सूची संलग्न)

- 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन के तहत राज्य में चयनित किये गये द्वितीय फेज के 06 क्लस्टर (अरनोद-प्रतापगढ़, नापासर-बीकानेर, नरेयना-जयपुर, नौगांवा-अलवर, रानीवाड़ाकलान- जालौर एवं गढ़ी-बांसवाड़ा) के ड्राफ्ट Integrated Cluster Action Plan (ICAP) का ग्रामीण विकास विशेषज्ञ व कार्यक्रम अधिकारी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- 2 ड्राफ्ट ICAP का शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण की क्लस्टर वार समीक्षा की गयी।
- 3 रूरुर्न मिशन के तहत चयनित किये गये द्वितीय फेज के 6 क्लस्टर के विकास अधिकारियों द्वारा ड्राफ्ट ICAP के संबंध में सुझाव दिये। लघु उद्योग, सोलर, पार्क, वाटर प्यूरीफायर, डेयरी अवशीतन केन्द्र की स्थापना के साथ एडवेन्चर ट्यूरिज्म का विकास, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, टैक्सटाइल ट्रेनिंग व अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी सुझाव दिये।
- 4 स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली को बैठक में उपस्थित चीफ प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल रूरुर्न मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा संबंधित विकास अधिकारियों के सुझावों व फीडबैक के आधार पर संशोधित ड्राफ्ट ICAP तैयार कर विभाग को आगामी दिनांक 22.09.2017 तक उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।
- 5 विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ड्राफ्ट ICAP में लिये गये कार्यों का औचित्य एवं संसाधनों की उपलब्धता का परीक्षण स्वयं के स्तर पर करें।
- 6 स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से प्राप्त संशोधित ड्राफ्ट ICAP को संबंधित विकास अधिकारियों द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में अनुमोदन करवाने के निर्देश शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिये गये।
- 7 ग्राम सभा से ड्राफ्ट ICAP अनुमोदन पश्चात जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर 16 अक्टूबर, 2017 तक ड्राफ्ट ICAP को अनुमोदित करवाने के निर्देश भी शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा विकास अधिकारियों को प्रदान किये गये।
- 8 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा जिला स्तर पर आयोजित बैठक में नोडल ऑफिसर-एसपीएमआरएम व परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग लाइन विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली की टीम को भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया।
- 9 शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास ने द्वितीय फेज के 06 क्लस्टर राजीविका कार्य क्षेत्र में होने के कारण द्वितीय फेज के 06 क्लस्टर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन के घटक आर्थिक कार्यकलापों से सम्बद्ध कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर विस्तृत गतिविधियों व कार्य योजना दिनांक 25.09.2017 तक विभाग को देने हेतु बैठक में उपस्थित श्री शुभायु बसु तथा श्री श्रीकांत (राजीविका) को निर्देशित किया गया।
- 10 राजीविका द्वारा द्वितीय फेज के 06 क्लस्टर की घटक आर्थिक कार्यकलापों से सम्बद्ध कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर विस्तृत गतिविधियों व कार्य योजना को स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा ड्राफ्ट ICAP में शामिल किये जाने का निर्णय बैठक में लिया गया।

11. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की गाइड लाइन व क्लस्टर्स की जानकारी लाइन विभागों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
12. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की आगामी बैठक में आरएसएलडीसी विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किये जाने संबंधी निर्देश शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास द्वारा प्रदान किये गये।


अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।



परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग एवं आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं हॉर्टिकल्चर विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं हथकढ़ा उद्योग विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
16. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
17. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम रोजगार कौशल एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर।
19. संयुक्त सचिव (रूबर्न), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
20. श्रीमती विनिता हरिहरण, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल रूबर्न मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
21. श्री चैतन्य वैद्य, निदेशक एवं प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
22. प्रमुख परिचालन प्रबंधक, राजीविका उद्योग भवन, जयपुर।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र), जिला परिषद, बीकानेर/अलवर/जालौर/बांसवाड़ा/प्रतापगढ़/जयपुर को सूचनार्थ।
24. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अरनोद (प्रतापगढ़)/गढ़ी (बांसवाड़ा)/दूदू (जयपुर)/ बीकानेर (बीकानेर)/रामगढ़ (अलवर)/रानीवाड़ा (जालौर)।



परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो. एवं मू.)